



2026:AHC-LKO:10263-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 106 सन 2026

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य / प्रमुख सचिव उद्यान एवं
खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं 2 अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

सतीश कुमार एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	विनोद कुमार शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन संख्या 1/2026 पर आदेश; विलंब की माफी हेतु आवेदन)

- हमने राज्य-अपीलकर्ताओं के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शुक्ला को सुना।
- यह आवेदन इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत विशेष अपील दाखिल करने में हुये 387 दिनों के विलंब को माफ करने की मांग करता है, जो रिट - ए संख्या 11820/2024; सतीश कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दिनांक 13.12.2024 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत विशेष अपील दाखिल करने की समय सीमा तीस दिन है, जैसा कि नियमावली, 1952 के अध्याय IX नियम 10 में परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 117 के साथ पढ़ा गया है।
4. प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए अनुसार, इसी प्रकार की एक अपील, **विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 317/2025; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सोमवीर सिंह और अन्य**, को 04.08.2025 को गुण-दोष के आधार पर पहले ही खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त निर्णय के आधार पर, इसी तरह की एक अन्य अपील, **विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 353/2025; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम संजीव कुमार और अन्य**, को भी अपील दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करने के बाद उसी शर्तों पर खारिज कर दिया गया है।
5. इस मामले में, **सोमवीर सिंह (उपरोक्त)** और **संजीव कुमार (उपरोक्त)** के मामले में चुनौती दिए गए समान निर्णय को चुनौती दी गई है, हालांकि इसमें 387 दिनों का अत्यधिक विलंब हुआ है और **सोमवीर सिंह (उपरोक्त)** और **संजीव कुमार (उपरोक्त)** के उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की है।
6. हमने विलंब माफी के लिए आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथ-पत्र का अध्ययन किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2025 को **शिवम्मा (मृत) द्वारा एल.आर.एस बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड और अन्य; 2025 एससीसी ऑनलाइन 1969** के मामले में दिए गए हालिया निर्णय के आधार पर इसकी जांच करने पर इसे अपर्याप्त और असंतोषजनक पाया है। एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर फाइल का स्थानांतरण इस तरह के अत्यधिक विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अतः हम अपील दाखिल करने में विलंब माफी के लिए आवेदन को **अस्वीकार** करते हैं, परिणामस्वरूप अपील **खारिज** की जाती है।

फ़रवरी 10, 2026

-पीयूष-

[न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।